

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 90]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 मार्च 2023—फाल्गुन 24, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2023

क्र. एफ-1-1-2023-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक-एक के अधीन, भाग (इ) में

1. अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“6-मध्यप्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद.”

2. अनुक्रमांक 17 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

“18. कार्यालय, संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) जबलपुर, ग्वालियर एवं इंदौर.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2023

क्र. एफ-1-1-2023-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-1-2023-एक (1), दिनांक 15 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

Bhopal, the 15th March 2023

No. F-1-1-2023-One (1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in the Schedule, under the existing heading-I, in Part (C)

1. For Serial Number 6 and entries relating thereto, the following Serial Number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"6. Madhya Pradesh Works Quality Council."

2. After Serial Number 17 and entries relating thereto, the following Serial Number and entries relating thereto, shall be added, namely :—

"18. Office of the Joint Commissioner (Litigation and Co-ordination) Jabalpur, Gwalior and Indore."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RANJANA PATNE, Dy. Secy.